ग्राम पंचायत हार, विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ, ज़िला काँगड़ा, हि० प्र० – 176023 के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग-एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत हार, विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री मंजीत सिंह	01/04/2022 से 10/08/2022
2.	श्री विनोद कुमार	11/08/2022 से 18/05/2023
3.	श्री चत्तर सिंह	19/05/2023 से 31/03/2024

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री राज कुमार	01/04/2022 से 29/05/2023
2.	श्रीमति रीनू कुमारी	30/05/2023 से 31/03/2024

तकनीकी सहायक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री तेजेन्द्र पाल	01/04/2022 से 31/03/2024

ग्राम रोजगार सेवक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति डिम्पल रानी	01/04/2022 से 31/03/2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत हार के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1.	4.1	रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में अन्तर पाया जाना	**0.36**
2.	4.3	विभिन्न अनुदानों से अर्जित ब्याज राशि को सभा निधि रोकड़ बही में हस्तांतरित करना	**0.07**
3.	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	**13.20**
4.	7	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	**0.59**
5.	8.1	आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान अनियमित भुगतान करना	**13.72**
6.	8.2	आपूर्तिकर्ताओं से पत्थर के क्रय हेतु भुगतान से पूर्व रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण	**0.34**

		अधिक/अनियमित भुगतान करना	
7.	8.3	आपूर्तिकर्ताओं से सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती न करने के कारण अधिक/अनियमित भुगतान का पाया जाना	**0.16**
8.	8.4	अग्रिम राशि का समायोजन हेतु शेष पाया जाना	**5.85**
9.	8.5	मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	**5.85**
10.	8.6	विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत निर्माण कार्यों से संबंधित अभिलेख (माप पुस्तिका, प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, उपयोगिता प्रमाण पत्र और अनुभागी / संकर्म व सतर्कता कमेटी द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध) अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	**27.78**
11.	9.1	मनरेगा के अंतर्गत निर्माण कार्यों के मस्टर रोलों को जारी करने के रजिस्टर में प्रविष्टि न करना	**1.16**
12.	10.2	विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली न करना	**0.03**
13.	10.3	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाना	**0.02**

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत हार, विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ, ज़िला काँगड़ा के अवधि 01/04/22 से 31/03/234 के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री दीपक सिंह पठानिया, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 09.10.2024 से 15.10.2024 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। आय-व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय (माह)	व्यय (माह)
2022-23	07/2022	05/2022
2023-24	03/2024	03/2024

<u>अस्वीकरण (Disclaimer):</u> - ***इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।***

3. अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹4000/-** आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला - 171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 11/2024/हार दिनांक 15.10.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17/GPH/2024 दिनांक 15.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र ही शुल्क की अदायगी कर दी जाएगी।

4. वित्तीय स्थिति:-

(क) पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 27/2024 दिनांक 09.10.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट - "क"** और **"ख"** में दिया गया है:-

1. स्व: स्त्रोत:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2022-23	322954.00	271331.00	594285.00	234003.00	360282.00
2023-24	360282.00	406167.00	766449.00	332644.00	433805.00

2. अनुदान:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2022-23	1785924.78	3749067.75	5534992.53	4175262.53	1359730.00
2023-24	1359730.00	886315.60	2246045.60	925889.60	1320156.00

कुल योग (1+2) = 433805.00 + 1320156.00 = **1753961.00**

(ख) बैंक समाधान विवरणी:-

ग्राम पंचायत की रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति अनुसार दिनांक 31.03.2024 को अन्तशेष **₹17,53,961.00** तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि के अन्तशेष **₹17,17,676.00** **(परिशिष्ट - "ग")** से सम्बन्धित विवरणी निम्नानुसार है:-

क्र०	अनुदान	बैंक	खाता संख्या	बैंक अंत शेष 31.03.24 को
1.	सभा निधि (Own Source)	KCCB ज्वाली	20024009111	₹ 4,33,805.00
2.	5 वां राज्य वित्त आयोग (5th SFC)	KCCB ज्वाली	50056990250	₹ 0.00
3.	सांसद निधि (MPLAD)	KCCB ज्वाली	50056314840	₹ 1,007.00
4.	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	KCCB ज्वाली	50056314895	₹ 3,036.00

5.	क्षेत्रिय विकेंद्रीकृत योजना (SDP)	KCCB ज्वाली	50056990238	₹ 0.00
6.	मुख्यमंत्री आवास योजना (MMAY)	KCCB ज्वाली	50065708120	₹ 877.00
7.	राजीव आवास योजना (RAY) / अटल आवास योजना (AAY)	KCCB ज्वाली	50056314828	₹ 0.00
8.	Integrated watershed development Programme अंशदान (IWDP)	KCCB ज्वाली	20024009279	₹ 3,51,651.00
9.	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) SBM/ Total Sanitisation Campaign (TSC)	KCCB ज्वाली	50056314920	₹ 0.00
10.	13 वां वित्त आयोग (13TH FC)/ 14वां वित्त आयोग (14th FC)	KCCB ज्वाली	50056314839	₹ 0.00
11.	15वां वित्त आयोग (15TH FC)	KCCB ज्वाली	50071929130	₹ 9,27,300.00
12.	तीसरा राज्य वित्त आयोग (3RD SFC)	KCCB ज्वाली	50056314908	₹ 0.00
	हस्तगत शेष (स्व: स्त्रोत)			₹ 0.00
	बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का कुल योग :			₹ 17,17,676.00
	दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-			
	पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-			**₹17,17,676.00**
	रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार वित्तीय स्थिति/पैरा4(क) अन्तशेष :-			**₹17,53,961.00**
	अंतर :-			**₹36,285.00**

4.1 रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में राशि ₹0.36 लाख का अन्तर पाया जाना:-

रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों को रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में दिनांक 31.03.2024 को उपरोक्त पैरा 4 के अनुसार **₹36,285.00** की राशि का अन्तर बैंक में कम जमा के रूप में पाया गया, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 01/2024/हार दिनांक 10.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर 07/GPH/2024 दिनांक 11.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि वास्तव में बैंक खाते में शेष राशि शून्य है व राजीव आवास योजना/अटल आवास (RAYEAAY) रोकड़ बही का अंतशेष राशि ₹1097.00 व 13 वां वित्त आयोग (13TH FC) रोकड़ बही का अंतशेष राशि ₹35,188.00 केवल त्रुटिपूरक है। E-gram swaraj में यह दोनों स्कीमें बंद हो चुकी हैं जिस कारण वर्तमान में दोनों रोकड़ बहियों से कोई लेन देन नहीं हो रहा है। अतः भविष्य में अपने उच्च अधिकारियों से इस अंतर को समाप्त करने के लिए पत्राचार किया जाएगा व रोकड़ बही से मिलान कर की गई कार्यवाही से अंकेक्षण के अवगत करवाया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर तर्कसंगत नहीं है।

अत: इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा अन्तर की राशि को उचित स्रोत से वसूल कर सम्बन्धित शीर्षों में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करना सुनिश्चित किया जाए ।

4.2 वित्त वर्ष 2022-23 में तीसरा राज्य वित्त आयोग रोकड़ बही (3rd SFC) में उपलब्ध अथशेष राशि ₹1.13 लाख के आय व्यय के लेखांकन हेतु हस्तलिखित रोकड़ बही का संधारण करना: -

निदेशक-एवं-विशेष सचिव (RD&PR) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या पी.सी.एच.-एच.सी(10)/2016-5072-95 दिनांक 24.01.2018 द्वारा सभी पंचायती राज संस्थाओं द्वारा PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में ई-ग्राम स्वराज) में खातों का रख-रखाव बारे दिशा निर्देश अनुसार सभी पंचायती राज संस्थाएँ दिनांक 31.03.2018 को या उससे पहले रोकड़ बहियों को Online mode पर संधारित करेंगे और उसके बाद Manual Mode को बंद कर दिया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वित्त वर्ष 2022-23 में तीसरा राज्य वित्त आयोग (3rd SFC) की रोकड़ बही को Online mode (ई-ग्राम स्वराज) और Manual Mode (हस्तलिखित) दोनों माध्यमों से संधारित किया गया था जिससे स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में ई-ग्राम स्वराज) पर रोकड़ बहियों के संचालन बारे जारी दिशा निर्देशों की पूर्णतः पालना नहीं की गई थी। वित्त वर्ष 2022-23 में तीसरा राज्य वित्त आयोग (3rd SFC) के आय-व्यय का लेखांकन केवल हस्तलिखित रोकड़ बही में किया गया जिसके अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में बैंक एवं हस्तलिखित रोकड़ बही का अंतशेष शून्य है जबकि ई ग्राम स्वराज रोकड़ बही में राशि **₹1,13,380.00** अंतशेष उपलब्ध है जोकि पंचायत की सच्ची एवं सही वित्तीय स्थिति न दर्शाने के फलस्वरूप प्रश्नात्मक आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 01/2024/हार दिनांक 10.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर 07/GPH/2024 दिनांक 11.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि वित्त वर्ष 2018-19 से ही 3 rd SFC की रोकड़ बही का संधारण online mode से E-gram swaraj में किया जा रहा है परंतु 31.3.2022 के बाद 3 rd SFC की scheme online बंद हो गई थी जिस कारण उसमें कोई भी लेन देन का इंदराज नहीं

हो रहा था और बैंक खाता में शेष राशि होने के चलते हस्तलिखित रोकड़ बही का संधारण किया गया। प्रस्तुत प्रत्युत्तर तर्कसंगत नहीं है।

अत: दिशा निर्देशों के विपरीत online एवं हस्तलिखित रोकड़ बही का एक साथ संधारण करने बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये मामले को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाये एवं मार्गदर्शानानुसार नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.3 विभिन्न अनुदानों से अर्जित ब्याज राशि ₹0.07 लाख को सभा निधि रोकड़ बही में हस्तांतरित करना: -

निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच.-एच.ए.(5)सी(15)-13(एल)5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार पंचायतों द्वारा ऑनलाइन ई ग्राम स्वराज(PRIASoft) लेखा प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु योजना वार अलग-अलग खाता संख्या खोलने के संबंध में जारी किए गए विभिन्न दिशा-निर्देशों के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं पर अर्जित ब्याज उन्हीं योजनाओं का हिस्सा होगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न तालिका अनुसार अर्जित ब्याज को सभा निधि में हस्तांतरित किया गया था, जोकि जारी किए गए विभिन्न निर्देशों और दिशा-निर्देशों की ग्राम पंचायत द्वारा स्पष्ट अवहेलना है:-

क्र० सं०	माह/वर्ष	अनुदान/योजना	सभा निधि में हस्तांतरित की गई ब्याज राशि
1.	11 /2022	5 वां राज्य वित्त आयोग (5th SFC)	6310.00
2.	11 /2022	क्षेत्रिय विकेंद्रीकृत योजना (SDP)	6.00
3.	11 /2022	मुख्यमंत्री आवास योजना (MMAY)	345.00
		कुल जोड़	**6661.00**

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 01/2024/हार दिनांक 10.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर 07/GPH/2024 दिनांक 11.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों से प्राप्त ब्याज की राशि जो सभा निधि खाते में ट्रांसफर की गई है उसे वापिस संबंधित अनुदानों के खातों में जमा करवा दिया जाएगा व की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिए आश्वासन अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.4 5वां राज्य वित्त आयोग से प्राप्त राशि के आय व्यय का लेखांकन ई ग्राम स्वराज(PRIASoft) लेखा प्रणाली पर नियमानुसार न करना: -

निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच.-एच.ए.(5)सी(15)-13(एल)5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार पंचायतों द्वारा ऑनलाइन ई ग्राम स्वराज(PRIASoft) लेखा प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु योजना वार अलग-अलग बैंक खाता खोलने के संबंध में जारी विभिन्न दिशा-निर्देशों के अंतर्गत पंचायतों को सहायता अनुदान/निधि जारी करने से संबंधित स्वीकृति पत्र में ई ग्राम स्वराज(PRIASoft) की आवश्यकता के अनुसार अनुदान के लेखा शीर्ष को दर्शाया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि 5वां राज्य वित्त आयोग से प्राप्त राशि के आय व्यय से संबंधित लेन देन का लेखांकन सभा निधि बैंक खाता एवं रोकड़ बही में किया गया था जोकि अनियमित है जबकि 5वां राज्य वित्त आयोग के आय व्यय हेतु अलग बैंक खाता है और रोकड़ बही अलग से संधारित की गई है, जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में ई-ग्राम स्वराज) पर रोकड़ बहियों के संचालन बारे जारी दिशा निर्देशों की पूर्णतः पालना नहीं की जा रही है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/हार दिनांक 10.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर 11/GPH/2024 दिनांक 11.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को

अवगत करवाया गया कि 5^{TH} SFC से प्राप्त होने वाले पदाधिकारियों के मानदेय आदि विकास खंड कार्यालय से पंचायत के सभा निधि बैंक खाते हस्तांतरित किया जाता है जिस कारण उसका लेनदेन भी वर्तमान में सभा निधि खाता से ही किया जा रहा है परंतु भविष्य में इस संदर्भ में पत्राचार कर इसका आय व्यय 5^{TH} SFC के बैंक खाते व रोकड़ बही में कर दिया जाएगा और की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिए आश्वासन अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5. निवेश

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष स्व-स्त्रोत में कृत व्यय की तुलना में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/हार दिनांक 08.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 09/GPH/2024 दिनांक 08.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में निवेश नहीं किया गया था। भविष्य में नियमानुसार सावधि निवेश कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन की दृष्टिगत नियमानुसार सुधारात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए।

6. अनुदान राशि ₹13.20 लाख का अवरोधन

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **9** के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 27/2024 दिनांक 09.10.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि **परिशिष्ट - " क "** व **परिशिष्ट - " ख "** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से **₹ 13,20,156.00** की राशि उपयोग हेतु शेष थी जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अंतर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2024/हार दिनांक 15.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 16/GPH/2024 दिनांक 15.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा।

अतः शेष अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

7. पंचायत राजस्व संपत्ति कर / गृहकर राशि ₹0.59 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **34(2)** के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संपत्ति कर / गृहकर मांग व संग्रहण पंजिका असंधारित थी। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 02/2024/हार दिनांक

10.10.2024 की अनुपालना में पत्र क्रमांक 08/GPH/2024 दिनांक 11.10.2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2022-23 व वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹100/- प्रति परिवार प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि **₹59,300.00** के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.24 को शेष थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट - " घ "** पर संलग्न है। संपत्ति कर/गृहकर से संबंधित मांग व संग्रहण पंजिका असंधारित होने के कारण लम्बित गृह कर तथा वसूली का पूर्ण पता नहीं लगाया जा सका। संपत्ति कर/गृहकर की नियमित वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2024/हार दिनांक 15.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 16/GPH/2024 दिनांक 15.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि गृहकर की शीघ्र वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा, की तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये लम्बित करों एवं बकाया पंचायत राजस्व राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार संपत्ति कर / गृहकर से सम्बन्धित मांग व संग्रहण पंजिका को संधारित कर प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. व्यय

8.1 आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान राशि ₹13.72 लाख के अनियमित भुगतान बारे :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81 ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा

जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा। इसके अलावा निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचयाती राज के पत्र क्रमांक XEN-(RD&PR)-DB-GENERAL/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 व XEN-(RD&PR)-Royalty/2011-Vol-1-10247-10393 दिनांक 24.07.2024 द्वारा भी समय-समय पर निर्देश जारी किए गये कि खनन सामग्री क्रय हेतु भुगतान केवल वैध ट्रांजिट पास की प्राप्ति सुनिश्चित करने उपरांत ही किया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान व्यय हेतु चयनित माह 05/2022 व 03/2024 के बिल/वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गई थी परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान से पूर्व आपूर्तिकर्ता से उक्त ट्रांजिट पास की प्राप्ति सुनिश्चित नहीं की गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना एवं निर्देशों के अनदेखी के चलते पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/हार दिनांक 11.10.2024 की अनुपालना में पत्र क्रमांक 13/GPH/2024 दिनांक 14.10.2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार आपूर्तिकर्ता को **परिशिष्ट - "ङ"** पर संलग्न विवरणानुसार **₹13,71,615.61** का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है। ट्रांजिट पास उपलब्ध न होने के कारण खनन सामग्री के आपूर्ति स्त्रोत की वैधता की पुष्टि नहीं की जा सकी जिस कारण अवैध खनन स्त्रोत से आपूर्ति की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2024/हार दिनांक 15.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 16/GPH/2024 दिनांक 15.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित नहीं की गई व आपूर्तिकर्ता से उक्त ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) प्राप्त कर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिये जाएंगे। प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल न होने के कारण तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः राशि **₹13,71,615.61** के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस संबंध में संबंधित विभाग से संपर्क/पत्राचार कर तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में खनन सामग्री के क्रय के दौरान बिलों के साथ नियमानुसार ट्रांजिट पास की प्राप्ति सुनिश्चित की जाये व तदोपरान्त ही आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया जाये।

8.2 आपूर्तिकर्ताओं से पत्थर के क्रय हेतु भुगतान से पूर्व रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण राशि ₹0.34 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान बारे: -

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (HPPWD) के नियम, सामग्री का परिवहन के पैरा (2.1.2.13) में पत्थरों (Stone/Boulders) की आपूर्ति में रिक्तियों (Voids) की 12.5% दर से कटौती करना निर्धारित है।

अंकेक्षण के दौरान व्यय हेतु चयनित माह 05/2022 व 03/2024 के बिल/वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से पत्थरों की खरीद करने हेतु नियमानुसार आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने से पूर्व 12.5% की दर से रिक्तियों की कटौती नहीं की गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना एवं अनदेखी के चलते पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/हार दिनांक 11.10.2024 की अनुपालना में पत्र क्रमांक 14/GPH/2024 दिनांक 14.10.2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं व्यय हेतु चयनित माह 05/2022 व 03/2024 के बिल/वाउचरों के अनुसार आपूर्तिकर्ता को अंकेक्षण अवधि के दौरान पत्थरों की खरीद हेतु 12.5% की दर से रिक्तियों की कटौती किए बिना कुल राशि **₹2,72,388.42** का भुगतान किया गया जिस पर राशि **₹34,048.55** का अधिक/अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " च "** में दिया गया है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2024/हार दिनांक 15.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 16/GPH/2024 दिनांक 15.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में रिक्तियों की कटौती नहीं की गई थी व आपूर्तिकर्ता से वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया

जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति व नियमानुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है और यह एक अनुचित प्रक्रिया है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार रिक्तियों की कटौती किए बिना आपूर्तिकर्ताओं को बिल/वाउचरों के प्रति किए गये भुगतान को नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अंकेक्षण के दिए आश्वासनानुसार कटौती योग्य रिक्तियों की अपेक्षित राशि की वसूली उचित स्रोत से की जाए और भविष्य में भी भुगतान से पूर्व रिक्तियों की कटौती से संबंधित नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाये व तदानुसार कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.3 आपूर्तिकर्ताओं से सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती न करने के कारण राशि ₹0.16 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान बारे:-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि०प्र० आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part (278/25)-29056 दिनांक 29.09.20218 के अनुसार किसी भी व्यक्ति/फर्म/संस्था/स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local Authority/Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एकल कॉन्ट्रैक्ट के अन्तर्गत एक वित्तीय वर्ष में ₹ 2,50,000.00 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1%CGST + 1%SGST – अंतर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% IGST – अंतरराज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती संबंधित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले संबंधित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान व्यय हेतु चयनित माह 05/2022 व 03/2024 के बिल/वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान के समय आपूर्तिकर्ताओं से नियमानुसार जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती नहीं की गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना एवं अनदेखी के चलते पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 27/2024 दिनांक 09.10.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना एवं व्यय हेतु चयनित माह

05/2022 व 03/2024 के बिल/वाउचरों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु अंकेक्षण अवधि के दौरान कुल राशि **₹8,08,684.00** का भुगतान किया गया जिस पर नियमानुसार आपूर्तिकर्ताओं से जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में भुगतान की गई राशि का 2% की दर से राशि **₹16,174.00** की कटौती नहीं की गई थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " छ "** में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2024/हार दिनांक 15.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 16/GPH/2024 दिनांक 15.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में आपूर्तिकर्ता से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती नहीं की गई थी जिस पर नियमपूर्वक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती किए बिना आपूर्तिकर्ताओं को अंकेक्षणावधि के दौरान बिल/वाउचरों के प्रति किए गये समस्त भुगतान को नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिए आश्वासनानुसार कटौती योग्य जी.एस.टी. टी.डी.एस. की अपेक्षित राशि की वसूली उचित स्रोत से करने उपरांत सम्पूर्ण राशि संबंधित विभाग में जमा करवाई जाए और भविष्य में भी भुगतान से पूर्व जी.एस.टी. टी.डी.एस. से संबंधित नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाये व तदानुसार कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

ANNUAL REPORT

8.4 अग्रिम राशि ₹ 5.85 लाख का समायोजन हेतु शेष पाया जाना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 30 के अनुसार पंचायत द्वारा फार्म-9 में अस्थायी अग्रिमों का रजिस्टर तैयार करना तथा किए गये अग्रिमों का वित्तीय वर्ष के अंत में समायोजन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान अस्थायी अग्रिमों के रजिस्टर को प्रस्तुत नहीं किया गया और पंचायत सचिव द्वारा अधियाचना क्रमांक 27/2024 दिनांक 09.10.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना एवं व्यय हेतु चयनित माह 05/2022 व 03/2024 के व्यय वाउचरों के

अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति (कारपोरेशन) फतेहपुर को सीमेंट के क्रय हेतु राशि **₹5,85,152.00** का अग्रिम प्रदान किया गया था, परंतु दिनांक 31.03.2024 तक उक्त राशि का समायोजन नहीं हुआ था, जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट " ज "** में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2024/हार दिनांक 15.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 16/GPH/2024 दिनांक 15.10.2024 द्वारा बताया गया कि अभिलेख शीघ्र तैयार कर अग्रिम राशि का समायोजन शीघ्र कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अस्थायी अग्रिमों के रजिस्टर को संधारित कर हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति (कारपोरेशन) धीरा को अंकेक्षणावधि में की गई समस्त अग्रिम भुगतान राशि का समायोजन करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये।

8.5 राशि ₹5.85 लाख के मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम 79(2) अनुसार पंचायत सचिव संपरीक्षा के संचालन के लिए, संपरीक्षक(कों) सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा और सभी अभिलेखों विवरणियों और लेखों के रजिस्टर/ अभिलेख संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए तैयार रखेगा।

अंकेक्षण के दौरान पंचायत सचिव द्वारा अधियाचना क्रमांक 27/2024 दिनांक 09.10.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना एवं व्यय हेतु चयनित माह 05/2022 व 03/2024 के व्यय वाउचरों के अवलोकन में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रोफॉर्मा बिल (Proforma Bill) के आधार पर **परिशिष्ट " ज "** पर संलग्न विवरणानुसार राशि **₹5,85,152.00** का भुगतान हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति (कारपोरेशन) फतेहपुर को सीमेंट के क्रय हेतु किया गया जिसके बदले में समय-समय पर ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों में प्रयोग हेतु सीमेंट लिया गया। उक्त भुगतान एवं प्राप्त सीमेंट की मात्रा से संबंधित मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गये जिस कारण सीमेंट की

स्टॉक प्रविष्टियों एवं खपत की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2024/हार दिनांक 15.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 16/GPH/2024 दिनांक 15.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति (कारपोरेशन) फतेहपुर से मूल बिल प्राप्त कर स्टॉक रजिस्टर का अद्यतन करने उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उक्त मामले में आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर संबंधित विभाग से संपर्क/पत्राचार कर मूल बिल प्राप्त कर नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.6 विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत निर्माण कार्यों की स्वीकृत राशि ₹27.78 लाख से संबंधित अभिलेख (माप पुस्तिका, प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, उपयोगिता प्रमाण पत्र और अनुभागी / संकर्म व सतर्कता कमेटी द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध) अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक ,तकनीकी स्वीकृति, माप पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है और नियम **79** के अनुसार पंचायत सचिव को अंकेक्षण के दौरान पंचायत के समस्त अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा कुल स्वीकृत राशि **₹27,77,902.00** के विकास/निर्माण कार्यों की सम्बन्धी प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन व उपयोगिता प्रमाण पत्र **और** अनुभागी / संकर्म व सतर्कता कमेटी द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट " झ "** में दिया गया है, जिसके अभाव में किये गए कार्यों व उसमें प्रयुक्त सामग्री/मजदूरी के व्यय, खपत, सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2024/हार दिनांक 15.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 16/GPH/2024 दिनांक 15.10.2024 में पंचायत सचिव द्वारा बताया गया कि उक्त कार्यों से संबंधित प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन व उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल तथ्यपूर्ण न होने के कारण तर्कसंगत नहीं है।

अत: इस अनियमितता के तथ्यपूर्ण कारणों से अवगत करवाते हुये उक्त मामलों में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9. मनरेगा के अंतर्गत मस्टर रोल को जारी करने एवं भुगतान संबंधी प्रतिपादित नियमों की अवहेलना बारे:-

9.1 मनरेगा के अंतर्गत निर्माण कार्यों के राशि ₹1.16 लाख के मस्टर रोलों को जारी करने के रजिस्टर में प्रविष्टि न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 102(1 से 7) में मस्टर रोल को जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

अंकेक्षण के दौरान व्यय हेतु चयनित माह 03/2024 के व्यय वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि मनरेगा के अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों से संबंधित राशि **₹1,16,228.00** के मस्टर रोलों की प्रविष्टि मस्टर रोल जारी करने के रजिस्टर में नहीं की गई थी, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " ञ "** पर संलग्न है। लेखांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता के अभाव के फलस्वरूप अंकेक्षण में दोहरे भुगतान के प्रकरणों की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2024/हार दिनांक 15.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 16/GPH/2024 दिनांक 15.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि मस्टर रोल जारी करने के रजिस्टर को पूर्ण कर लिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल एवं तथ्यपूर्ण न होने के कारण तर्कसंगत नहीं है।

अत: विभागीय स्तर पर दोहरे भुगतान के मामलों की विस्तृत जांच कर तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में उपरोक्त वर्णित नियमों की पूर्णतः पालना सुनिश्चित की जाये।

9.2 मनरेगा के अंतर्गत निर्माण कार्यों हेतु राशि ₹1.16 लाख के मस्टर रोलों का भुगतान संयुक्त अदायगी आदेश के बिना करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1) में पंचायत द्वारा भुगतान आदेश जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

अंकेक्षण के दौरान व्यय चयनित माह 03/2024 में हुये भुगतानों के अवलोकन पर पाया गया कि मनरेगा के अंर्तगत विभिन्न निर्माण कार्यों से संबंधित मस्टर रोलों के भुगतान हेतु राशि **₹1,16,228.00** का व्यय केवल प्रधान के हस्ताक्षर उपरांत किया गया था जिससे स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा भुगतान हेतु उपरोक्त नियम द्वारा प्रावधित औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया गया जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " ञ "** पर संलग्न है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2024/हार दिनांक 15.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 16/GPH/2024 दिनांक 15.10.2024 द्वारा बताया गया कि भविष्य में मस्टर रोलों का भुगतान संयुक्त अदायगी आदेश उपरांत ही किया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है समस्त भुगतान उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं की पूर्ण पालना उपरांत ही किया जाये तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

10. विविध अनियमितताएं :-

10.1 निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए अनुभागी / संकर्म समिति द्वारा अनुबंध हस्ताक्षरित न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अनुसार प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए एक अनुभागी / संकर्म समिति

बनाए जाने का प्रावधान है जो कि नियमानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत के साथ उपरोक्त नियमों के "परिशिष्ट -ई" में दिए गये अनुबंध हस्ताक्षरित करेगी तथा उस कार्य विशेष के निष्पादन की देखरेख के लिए हर तरह से उत्तरदायी होगी।

अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट " ञ "** पर संलग्न दृष्टांत मामलों ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नियम की अनुपालना नहीं की जा रही थी तथा निर्माण कार्यों का निष्पादन पंचायत द्वारा अपने ही स्तर पर करवाया जा रहा है जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

10.2 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.03 लाख की वसूली न करने बारे : -

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि०प्र० के पत्र संख्याः PCH-HA(1)8/2013-Marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.16 व सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए ₹400/- अर्थात दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है तथा जिसे समय-समय पर वसूल करने के उपरांत विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0070-60-108-01" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **₹2,800.00** की वसूली नहीं की गई थी, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है:-

क्र० सं०	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	वसूली हेतु शेष राशि
1	नितीश ठाकुर	16-04-2022	02-05-2022	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
2	प्रेम सिंह	21-04-2022	05-02-2022	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
3	संदीप कुमार	03-05-2022	17-05-2022	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
4	अनिल कुमार	10-02-2019	14-07-2022	₹ 400.00	₹ 0.00	₹ 400.00
5	निश्चल मन्हास	27-09-2022	19-11-2022	₹ 400.00	₹ 0.00	₹ 400.00
6	रोहित मन्हास	02-12-2022	16-12-2022	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00

7	रोहित गुलेरिया	04-12-2022	16-12-2022	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
8	राजेश मन्हास	15-01-2023	06-02-2023	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
9	रोहित मन्हास	06-02-2023	25-02-2023	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
10	मोहित कुमार	23-02-2023	01-03-2023	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
11	नितीश ठाकुर	11-05-2023	09-06-2023	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
12	साहिल मन्हास	19-11-2023	13-12-2023	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
				₹ 2,800.00	**₹ 0.00**	**₹ 2,800.00**

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024/हार दिनांक 11.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 12/GPH/2024 दिनांक 14.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त राशि की वसूली करके सरकारी कोष में जमा करवा दी जाएगी और कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा ।

अत: विवाह पंजीकरण शुल्क की नियमानुसार वसूली न करने के तथ्यपूर्ण कारणों से अवगत करवाते हुये अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली उपरांत सरकारी कोष में जमा करवा कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये व भविष्य में नियमित रूप से प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली कर सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

10.3 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि ₹0.02 लाख को राजकीय कोष में जमा न करवाने बारे : -

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को समय-समय विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0070-60-108-01" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त कुल राशि **₹ 2,200.00** को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था, जिस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024/हार दिनांक

11.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 12/GPH/2024 दिनांक 14.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया व जल्द ही नियमानुसार प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षणावधि के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करें अथवा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवा कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये व भविष्य में नियमित रूप से प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

11. नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखों का अनुरक्षण न करना :-

11.1 हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। लेखांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं क्रॉस मोनिटरिंग के अभाव के चलते किसी भी स्तर पर धन, सामग्री के रिसन दुर्विनियोजन एवं दुसुप्योग की सम्भावना से अंकेक्षण में इनकार नहीं किया जा सकता।

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	संदर्भित नियम	प्रारूप
1.	निवेश रजिस्टर	12(1) व 27(1)	01
2.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	15(1)	----
3.	लेखा खाता (Ledger)	29 (1)	07
4.	वर्गीकृत संक्षिप्त सार	29 (4)	8
5.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	30	09

6.	बजट प्राक्कलन	37	11
7.	बिल प्राप्ति का रजिस्टर	48	13
8.	यात्रा भत्ता जाँच पड़ताल रजिस्टर	60	20
9.	स्टाम्प रजिस्टर	61 (2)	24
10.	लेखन सामग्री रजिस्टर	72 (1)	28
11.	संपरीक्षा और निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति और निपटान को दर्शाता रजिस्टर	89	30
12.	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	95(1)	31

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 03/2024/हार दिनांक 10.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 09/GPH/2024 दिनांक 11.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त सभी रजिस्टरों को भविष्य में संधारित कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

अतः नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख का रख-रखाव न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्टरों को नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11.2 ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 12034/01/2016 - आर ई -1 (347366) दिनांक 17.11.2016 अनुसार मंत्रालय ने ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा के अंतर्गत 07 अनिवार्य रजिस्टरों का रख रखाव करने हेतु निर्देश जारी किए ताकि ग्राम रोजगार सहायक मनरेगा कार्यक्रम के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में अपना समय प्रभावी तथा लाभदायक ढंग से लगा सकें।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत 07 अनिवार्य रजिस्टर जोकि निम्नलिखित हैं, का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित एवं आपत्तिजनक है :-

क्रमांक	**रजिस्टर क्रमांक**	**रजिस्टर का प्रायोजन**
1.	रजिस्टर - I	जॉब कार्ड (आवेदन, पंजीकरण और जारी करने के लिए) और घरेलू रोजगार रिपोर्ट।
2.	रजिस्टर - II	ग्राम सभा (बैठक) प्रस्ताव और कार्यों की प्राथमिकता सूची, विशेष सामाजिक लेखा परीक्षा ग्राम सभा (बैठक), प्रस्ताव और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट
3.	रजिस्टर-III	कार्य की मांग, कार्य आवंटन और मजदूरी भुगतान रजिस्टर
4.	रजिस्टर-IV	कार्य (Work) रजिस्टर
5.	रजिस्टर-V	अचल संपत्ति रजिस्टर
6.	रजिस्टर-VI	शिकायत रजिस्टर
7.	रजिस्टर-VII	सामग्री रजिस्टर

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 04/2024/हार दिनांक 10.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 10/GPH/2024 दिनांक 11.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त सभी रजिस्टरों का नियमानुसार अनुरक्षण एवं अद्यतन कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

अत: नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख का रख-रखाव न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करें तथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर अंकेक्षण

अवधि से संबंधित सभी रजिस्टरों को नियमानुसार अद्यतन करना सुनिश्चित करके व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि स्थाई स्टॉक रजिस्टर असंधारित है एवं पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया जा रहा था, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2024/हार दिनांक 15.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 16/GPH/2024 दिनांक 15.10.2024द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में स्थायी स्टॉक रजिस्टर का संधारण कर नियमित रूप से भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा।

प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

अत: अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

13. लघु-आपत्ति विवरणिका :- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

14. निष्कर्ष :- हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

30 NOV 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

5790–5794 30 NOV 2024

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)442/2024–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत हार, विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

(परिशिष्ट " क " पैरा संख्या " 4(क) " के संदर्भ में)

ANNEXURE -1

FINANCIAL POSITION OF GP HAAR FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1. OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	322954.00	271331.00	594285.00	234003.00	360282.00
2023-24	360282.00	406167.00	766449.00	332644.00	433805.00

2. GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	1785924.78	3749067.75	5534992.53	4175262.53	1359730.00
2023-24	1359730.00	886315.60	2246045.60	925889.60	1320156.00

Reeny Kumar
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत ......हार......
विकास खण्ड नगरोटा सूरियां
ज़िला कांगड़ा (हि0 प्र0)

(परिशिष्ट " ख " पैरा संख्या " 4 (क) " के संदर्भ में)

ANNEXURE -2

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP HAAR FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	5th SFC	2022-23	6188.00	122.00	6310.00	6310.00	0.00
		2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	MPLAD	2022-23	951.00	28.00	979.00	0.00	979.00
		2023-24	979.00	28.00	1007.00	0.00	1007.00
3	VKVNY	2022-23	122760.00	51146.00	173906.00	162432.00	11474.00
		2023-24	11474.00	125497.00	136971.00	133935.00	3036.00
4	SDP	2022-23	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00
		2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	MMAY	2022-23	1167.00	30.00	1197.00	345.00	852.00
		2023-24	852.00	25.00	877.00	0.00	877.00
6	RAY/AAY	2022-23	1097.00	0.00	1097.00	0.00	1097.00
		2023-24	1097.00	0.00	1097.00	0.00	1097.00
7	IWDP अंशदान	2022-23	331805.00	9465.00	341270.00	0.00	341270.00
		2023-24	341270.00	10381.00	351651.00	0.00	351651.00
8	SBM	2022-23	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00
		2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	13TH FC	2022-23	35188.00	0.00	35188.00	0.00	35188.00
		2023-24	35188.00	0.00	35188.00	0.00	35188.00
10	14TH FC	2022-23	381720.78	4003.22	385724.00	385724.00	0.00
		2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	15TH FC	2022-23	791647.00	897620.00	1689267.00	720397.00	968870.00
		2023-24	968870.00	180281.00	1149151.00	221851.00	927300.00
12	3RD SFC Offline	2022-23	113380.00	139093.00	252473.00	252473.00	0.00
		2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	MGNREGA	2022-23	0.00	2647560.53	2647560.53	2647560.53	0.00
		2023-24	0.00	570103.60	570103.60	570103.60	0.00

Reena Kumari
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत ......हार..........
विकास खण्ड नगरोटा सूरियां
ज़िला कांगड़ा (हि० प्र०)

(परिशिष्ट " ग ", पैरा संख्या " 4 (ख) " के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत हार, वि०ख० नगरोटा सूरियां, ज़िला कांगड़ा, हि०प्र० 176023

ग्राम पंचायत हार के दिनांक 31.03.2024 को बैंक शेष व रोकड़ बही में अंतर :-

क्र०सं०	शीर्ष	बैंक	खाता सं०	बैंक अंत शेष 31.03.2024	रोकड़ बही अंत शेष 31.03.2024
1	सभा निधि (Own Source)	KCCB ज्वाली	20024009111	₹ 4,33,805.00	₹ 4,33,805.00
2	5 वां राज्य वित्त आयोग (5th SFC)	KCCB ज्वाली	50056990250	₹ 0.00	₹ 0.00
3	सांसद निधि (MPLAD)	KCCB ज्वाली	50056314840	₹ 1,007.00	₹ 1,007.00
4	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	KCCB ज्वाली	50056314895	₹ 3,036.00	₹ 3,036.00
5	क्षेत्रिय विकेंद्रीकृत योजना (SDP)	KCCB ज्वाली	50056990238	₹ 0.00	₹ 0.00
6	मुख्यमंत्री आवास योजना (MMAY)	KCCB ज्वाली	50065708120	₹ 877.00	₹ 877.00
7	राजीव आवास योजना (RAY) / अटल आवास योजना (AAY)	KCCB ज्वाली	50056314828	₹ 0.00	₹ 1,097.00
8	Integrated watershed development Programme अंशदान (IWDP)	KCCB ज्वाली	20024009279	₹ 3,51,651.00	₹ 3,51,651.00
9	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) SBM/ Total Sanitisation Campaign (TSC)	KCCB ज्वाली	50056314920	₹ 0.00	₹ 0.00
10	13 वां वित्त आयोग (13TH FC)/ 14वां वित्त आयोग (14th FC)	KCCB ज्वाली	50056314839	₹ 0.00	₹ 35,188.00
11	15वां वित्त आयोग (15TH FC)	KCCB ज्वाली	50071929130	₹ 9,27,300.00	₹ 9,27,300.00
12	तीसरा राज्य वित्त आयोग (3RD SFC)	KCCB ज्वाली	50056314908	₹ 0.00	₹ 0.00
		हस्तगत नकद शेष (Own Source)		₹ 0.00	₹ 0.00
			कुल योग	**₹ 17,17,676.00**	**₹ 17,53,961.00**

दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-	
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा- 4(क) अन्तशेष :-	₹ 17,53,961.00
पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-	₹ 17,17,676.00
अंतर :-	₹ 36,285.00

Reenu Kumari

पंचायत सचिव

ग्राम पंचायत Har

विकास खण्ड नगरोटा सूरियां

ज़िला कांगड़ा (हि0 प्र0)

(परिशिष्ट " घ " पैरा संख्या " 7 " के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत हार, वि०ख०- नगरोटा सुरियाँ , ज़िला कांगड़ा, हि०प्र० 176023

दिनांक 31-03-2024 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पत्ति कर/ गृहकर:-

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्या 2022-23 में 252 परिवारों का ₹100/- तथा 2023-24 में 341 परिवारों का ₹100/- प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से:-

वित्तीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2022-23	₹ 0.00	252	₹ 100.00	₹ 25,200.00	₹ 25,200.00	₹ 0.00	₹ 25,200.00
2023-24	₹ 25,200.00	341	₹ 100.00	₹ 34,100.00	₹ 59,300.00	₹ 0.00	₹ 59,300.00
	नोट:- दिनांक 31.03.2024 को बकाया गृहकर की राशि **₹ 59300/-** है।						

Reenu Kumari
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत ......हार......
विकास खण्ड नगरोटा सूरियां
ज़िला कांगड़ा (हि0 प्र0)

32

ग्राम पंचायत हार द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अंकेक्षण अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के दौरान राशी ₹ 13.72 लाख के अनियमित भुगतान का विवरण

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/ दिनांक	बिल सं०/ दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा	Deno	राशी GST सहित	स्टॉक रजि० पृ० सं०	फार्म X / फार्म Y
	अनुदान शीर्ष : विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)									
1	VIJAY KUMAR	VKVNY/2022-23/P/3/25.07.22	12/ 10.5.22	रेत	₹ 673.00	17.2	CUM	₹ 11,576.00	3	उपलब्ध नहीं है
2				बजरी	₹ 537.00	12.1	CUM	₹ 6,498.00	6	
				GST @ 5%				₹ 904.00		
3	VIJAY KUMAR	VKVNY/2022-23/P/5/29.03.23	25/ 02.09.22	रेत	₹ 673.00	6.5	CUM	₹ 4,374.00	3	उपलब्ध नहीं है
4				बजरी	₹ 537.00	13.444	CUM	₹ 7,219.00	6	
				GST @ 5%				₹ 580.00		
	अनुदान शीर्ष : 14वां वित्त आयोग (14TH FC)									
5	VIJAY KUMAR	FFC/2022-23/P/8/25.07.22	11/ 18.04.22	रेत	₹ 673.00	10	CUM	₹ 6,730.00	3	उपलब्ध नहीं है
6				बजरी	₹ 537.00	20	CUM	₹ 10,740.00	6	
7				पत्थर	₹ 537.00	3.83	CUM	₹ 2,060.00	9	
				GST @ 5%				₹ 976.00		
8	VIJAY KUMAR	FFC/2022-23/P/15/13/11/22	22/ 02.08.22	रेत	₹ 673.00	12	CUM	₹ 8,076.00	3	उपलब्ध नहीं है
9				बजरी	₹ 537.00	5.3	CUM	₹ 2,846.00	6	
				GST @ 5%				₹ 546.00		
	अनुदान शीर्ष : 15वां वित्त आयोग (15th FC)									
10	VIJAY KUMAR	XVFC/2022-23/P/15/12.09.22	23/ 02.08.22	रेत	₹ 673.00	10.65	CUM	₹ 7,167.00	3	उपलब्ध नहीं है
11				बजरी	₹ 537.00	16.80	CUM	₹ 9,022.00	6	
12				पत्थर	₹ 537.00	22.28	CUM	₹ 11,964.00	6	
				GST @ 5%				₹ 1,406.00		
13	M/S Nasib Singh Govt. Contractor	XVFC/2022-23/P/18/31.10.22	14/ 24.10.22	रेत	₹ 1,111.00	3.78	CUM	₹ 4,200.00	4	उपलब्ध नहीं है
14				बजरी	₹ 1,069.00	7.07	CUM	₹ 7,560.00	7	
15				पत्थर	₹ 766.00	14.02	CUM	₹ 10,738.00	9	
16	M/S Nasib Singh Govt. Contractor	XVFC/2022-23/P/22/07.12.22	26/ 05.11.22	रेत	₹ 1,111.00	7.75	CUM	₹ 8,610.00	4	उपलब्ध नहीं है
17				बजरी	₹ 1,276.00	14.68	CUM	₹ 18,730.00	7	
18	M/S Nasib Singh Govt. Contractor	XVFC/2022-23/P/32/08.02.23	29/ 08.01.23	रेत	₹ 1,111.00	4.00	CUM	₹ 4,444.00	4	उपलब्ध नहीं है
19				बजरी	₹ 1,276.00	8.00	CUM	₹ 10,208.00	7	
	अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MNREGA)									
20	Vijay Kumar	47/ 11.11.2022	21/ 02.08.2022	Stone	₹ 537.00	130	Cum	₹ 69,810.00	7	उपलब्ध नहीं है
				GST @ 5%	0	0		₹ 3,490.00		
21	Vijay Kumar	48/ 11.11.2022	15/ 02.05.2022	Sand	₹ 673.00	25	Cum	₹ 16,825.00	7	उपलब्ध नहीं है
22				Aggregate	₹ 537.00	17.9	Cum	₹ 9,612.30		
				GST @ 5%	₹ 0.00	0		₹ 1,322.00		
23	Vijay Kumar	50/ 11.11.2022	17/ 20.05.2022	Sand	₹ 673.00	22.5	Cum	₹ 15,142.50	5	उपलब्ध नहीं है
24				Aggregate	₹ 537.00	42.5	Cum	₹ 22,822.50		
25				Stone	₹ 537.00	20	Cum	₹ 10,740.00	7	
				GST @ 5%	₹ 0.00	0		₹ 2,436.00		
26				Sand	₹ 1,111.00	21.6	Cum	₹ 23,997.60	3	

27	Nasib Singh	68/ 07.01.2023	08/ 24.10.2022	Aggregate 20mm	₹ 1,276.00	11.2	Cum	₹ 14,291.20	5	उपलब्ध नहीं है
28				Aggregate 40mm	₹ 1,069.00	30.34	Cum	₹ 32,433.46	5	
29				Stone	₹ 766.00	38.77	Cum	₹ 29,697.82	7	
30	Nasib Singh	71/ 07.01.2023	9/ 24.10.2022	Sand	₹ 1,111.00	16.73	Cum	₹ 18,587.03	3	उपलब्ध नहीं है
31				Aggregate 20mm	₹ 1,276.00	1.09	Cum	₹ 1,390.84	5	
32				Aggregate 40mm	₹ 1,069.00	2.99	Cum	₹ 3,196.31	5	
33	Nasib Singh	86/ 25.02.2023	33/ 17.02.2023	Sand	₹ 1,111.00	8	Cum	₹ 8,888.00	3	उपलब्ध नहीं है
34				Aggregate 20mm	₹ 1,276.00	4.5	Cum	₹ 5,742.00	5	
35				Aggregate 40mm	₹ 1,069.00	12.25	Cum	₹ 13,095.25	5	
36	Nasib Singh	88/ 25.02.2023	35/ 17.02.2023	Sand	₹ 1,111.00	11.45	Cum	₹ 12,720.95	4	उपलब्ध नहीं है
37				Aggregate 20mm	₹ 1,276.00	5.85	Cum	₹ 7,464.60	5	
38				Aggregate 40mm	₹ 1,069.00	15.85	Cum	₹ 16,943.65	5	
39	Nasib Singh	90/ 25.02.2023	37/ 17.02.2023	Sand	₹ 1,111.00	27	Cum	₹ 29,997.00		
40				Aggregate 20mm	₹ 1,276.00	14	Cum	₹ 17,864.00	4	
41				Aggregate 40mm	₹ 1,069.00	38	Cum	₹ 40,622.00	6	
42				Bolder/Stone	₹ 766.00	56	Cum	₹ 42,896.00	7	
43	Shiv Shakti Stone Crusher	Nill/ 25.05.2022	3079/ 17.02.2022	Sand	₹ 38.00	220	Cum	₹ 8,360.00	24	उपलब्ध नहीं है
44				Aggregate 20mm & 40mm	₹ 38.00	440	Cum	₹ 16,720.00	24	
				GST @ 5%				₹ 1,254.00		
45	Shiv Shakti Stone Crusher	Nill/ 25.05.2022	3068/ 17.02.2022	Sand	₹ 38.00	220	Cum	₹ 8,360.00	22	उपलब्ध नहीं है
46				Aggregate 20mm & 40mm	₹ 38.00	420	Cum	₹ 15,960.00	22	
				GST @ 5%				₹ 1,216.00		
47	Shiv Shakti Stone Crusher	Nill/ 25.05.2022	3069/ 17.02.2022	Sand	₹ 38.00	1050	Cum	₹ 39,900.00	22	उपलब्ध नहीं है
				GST @ 5%				₹ 1,995.00		
48	Shiv Shakti Stone Crusher	Nill/ 25.05.2022	3070/ 17.02.2022	Aggregate 20mm & 40mm	₹ 38.00	200	Cum	₹ 7,600.00	22	उपलब्ध नहीं है
				GST @ 5%				₹ 2,280.00		
49	Shiv Shakti Stone Crusher	Nill/ 25.05.2022	3071/ 14.02.2022	Aggregate 20mm & 40mm	₹ 38.00	1080	Cum	₹ 41,040.00	22	उपलब्ध नहीं है
				GST @ 5%				₹ 2,052.00		
50	Shiv Shakti Stone Crusher	Nill/ 25.05.2022	3077/ 16.02.2022	Sand	₹ 38.00	250	cft	₹ 9,500.00	23	उपलब्ध नहीं है
51				Aggregate 20mm & 40mm	₹ 38.00	500	cft	₹ 19,000.00	23	
				GST @ 5%				₹ 1,425.00		
52	Shiv Shakti Stone Crusher	Nill/ 25.05.2022	3076/ 16.02.2022	Sand	₹ 38.00	500	cft	₹ 19,000.00	23	उपलब्ध नहीं है
53				Aggregate 20mm & 40mm	₹ 38.00	100	cft	₹ 3,800.00	23	
				GST @ 5%				₹ 1,440.00		
54	Shiv Shakti Stone Crusher	Nill/ 25.05.2022	3078/ 16.02.2022	Sand	₹ 38.00	200	cft	₹ 7,600.00	24	उपलब्ध नहीं है
55				Aggregate 10mm & 20mm	₹ 38.00	700	cft	₹ 26,600.00	24	
				GST @ 5%				₹ 1,710.00		
56				Sand	₹ 38.00	220	cft	₹ 8,360.00	24	

उपलब्ध

33(1)

57	Shiv Shakti Stone Crusher	Nill/ 25.05.2022	3080/ 17.02.2022	Aggregate 10mm & 20mm	₹ 38.00	440	cft	₹ 16,720.00	24	उपलब्ध नहीं है
				GST @ 5%				₹ 1,254.00		
58	Shiv Shakti Stone Crusher	Nill/ 25.05.2022	3072/ 14.02.2022	Sand	₹ 38.00	600	cft	₹ 22,800.00	23	उपलब्ध नहीं है
				GST @ 5%				₹ 1,140.00		
59	Shiv Shakti Stone Crusher	Nill/ 25.05.2022	3073/ 14.02.2022	Aggregate 10mm & 20mm	₹ 38.00	1080	cft	₹ 41,040.00	23	उपलब्ध नहीं है
				GST @ 5%				₹ 2,052.00		
60	Shiv Shakti Stone Crusher	Nill/ 25.05.2022	3074/ 15.02.2022	Cut Stone	₹ 38.00	1200	cft	₹ 45,600.00	23	उपलब्ध नहीं है
				GST @ 5%				₹ 2,280.00		
61	Shiv Shakti Stone Crusher	Nill/ 25.05.2022	3139/ 05.03.2022	Sand	₹ 38.00	210	cft	₹ 7,980.00	26	उपलब्ध नहीं है
62				Grit	₹ 38.00	420	cft	₹ 15,960.00		
				GST @ 5%				₹ 1,196.00		
63	Shiv Shakti Stone Crusher	Nill/ 25.05.2022	2930/ 08.09.21	Aggregate 20mm	₹ 38.00	1100	cft	₹ 41,800.00	6	उपलब्ध नहीं है
				GST @ 5%				₹ 2,090.00		
64	Shiv Shakti Stone Crusher	Nill/ 25.05.2022	2931/ 09.09.21	Aggregate 10mm	₹ 38.00	1100	cft	₹ 41,800.00	6	उपलब्ध नहीं है
				GST @ 5%				₹ 2,090.00		
65	Shiv Shakti Stone Crusher	Nill/ 25.05.2022	2932/ 09.09.21	Aggregate 10mm	₹ 38.00	1100	cft	₹ 41,800.00	6	उपलब्ध नहीं है
				GST @ 5%				₹ 2,090.00		
वित वर्ष 2023-24										
	अनुदान शीर्ष : 15वां वित्त आयोग (15th FC)									
66	M/S NASIB SINGH GOVT.CON.	15FC /2023-24/P/2 04/04/23	48/ 15.03.23	SAND	₹ 1,111.00	3	CUM	₹ 3,333.00	5	उपलब्ध नहीं है
67				Bajri	₹ 1,276.00	6.023	CUM	₹ 7,686.00	8	
68	M/S NASIB SINGH GOVT.CON.	15FC/P/6/2023-24/ 04.04.23	46/ 15.03.23	SAND	₹ 1,111.00	7.5	CUM	₹ 8,332.50	5	उपलब्ध नहीं है
69				Bajri	₹ 1,276.00	15.26	CUM	₹ 19,467.50	8	
70	M/S NASIB SINGH GOVT.CON.	15FC/P/09/2023-24/25.4.23	52/ 17.03.2023	SAND	₹ 1,111.00	3.248	CUM	₹ 3,609.00	5	उपलब्ध नहीं है
71				Bajri	₹ 1,276.00	6.00	CUM	₹ 7,656.00	8	
72				B/STONE	₹ 766.00	8.50	CUM	₹ 6,511.00	10	
73	M/S NASIB SINGH GOVT.CON.	15FC/P/14/2023-24/07/08/23	59/ 20.03.2023	SAND	₹ 1,111.00	3.4	CUM	₹ 3,777.00		उपलब्ध नहीं है
74				Bajri	₹ 1,276.00	6.4	CUM	₹ 8,166.00		
75				STONE	₹ 766.00	8.84	CUM	₹ 6,771.00		
	अनुदान शीर्ष : - विधायक क्षेत्र विकास निधि (VKVNY)									
76	RAMESH KUMAR GOVT. CONT.	VKVNY/P/5/2023-24/26.3.24	284/ 02.03.2024	SAND	₹ 900.00	15.20	CUM	₹ 13,680.00		उपलब्ध नहीं है
77				Bajri	₹ 550.00	28.80	CUM	₹ 15,840.00		
78				STONE	₹ 350.00	3.6	CUM	₹ 1,260.00		
				GST @ 5%				₹ 1,668.00		
	अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MNREGA)									
79	NASIB SINGH	Nill/ 01.03.2024	74/ 27.09.2023	रेत क्रशर	₹ 1,111.00	20.6	Cum	₹ 22,886.60	10	उपलब्ध नहीं है
80				पत्थर	₹ 766.00	35.6	Cum	₹ 27,269.60	10	
81	NASIB SINGH	Nill 01.03.2024	78/ 02.11.2023	बजरी	₹ 1,276.00	38.9	Cum	₹ 49,636.40	10	
							कुल योग	**₹ 13,71,615.61**		

Note: **It is certified that above information is true and as per records available at Gram Panchayt Haar office.**

Reenu Kumar
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत Haar
विकास खण्ड नगरोटा सूरियां
ज़िला कांगड़ा (हि0 प्र0)

ग्राम रोजगार सेवक
ग्राम पंचायत Haar
विकास खण्ड नगरोटा सूरियां
ज़िला कांगड़ा (हि0 प्र0)

Technical Assistant
Gram Panchayat Haar
Dev. Bl. Nagrota Surian (Kangra) H.P.

परिशिष्ट " च ", पैरा संख्या " 8.2 " के संदर्भ में

ग्राम पंचायत हार द्वारा अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत सूचना/अभिलखों के अनुसार पत्थर की खरीद में रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण राशि ₹0.34 लाख का अधिक/ अनियमित भुगतान का विवरण

वित्त वर्ष 2022-23

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/ दिनांक	बिल सं०/ दिनांक	मद का नाम	मात्रा	Deno	मूल्य दर	राशि GST सहित	कटौती दर	रिक्तियां (Voids)
	अनुदान शीर्ष : 14वां वित्त आयोग (14TH FC)									
1	VIJAY KUMAR	FFC/2022-23/P/8/25.07.22	11/ 18.04.22	पत्थर	3.83	Cum	₹ 537.00	₹ 2,163.00	12.50%	₹ 270.38
	अनुदान शीर्ष : 15वां वित्त आयोग (15th FC)									
2	VIJAY KUMAR	XVFC/2022-23/P/15/12.09.22	23/ 02.08.22	पत्थर	22.28	Cum	₹ 537.00	₹ 12,562.00	12.50%	₹ 1,570.25
3	M/S Nasib Singh Govt. Contractor	XVFC/2022-23/P/18/31.10.22	14/ 24.10.22	पत्थर	14.02	Cum	₹ 766.00	₹ 10,738.00	12.50%	₹ 1,342.25
	अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MNREGA)									
4	Vijay Kumar	47/ 11.11.2022	21/ 02.08.2022	Stone	130	Cum	₹ 537.00	₹ 73,300.00	12.50%	₹ 9,162.50
5	Vijay Kumar	50/ 11.11.2022	17/ 20.05.2022	Stone	20	Cum	₹ 537.00	₹ 11,277.00	12.50%	₹ 1,409.63
6	Nasib Singh	68/ 07.01.2023	08/ 24.10.2022	Stone	38.77	Cum	₹ 766.00	₹ 29,697.82	12.50%	₹ 3,712.23
7	Nasib Singh	90/ 25.02.2023	37/ 17.02.2023	Bolder/Stone	56	Cum	₹ 766.00	₹ 42,896.00	12.50%	₹ 5,362.00
8	Shiv Shakti Stone Crusher	Nill/ 25.05.2022	3074/ 15.02.2022	Cut Stone	1200 CFT	Cft	₹ 38.00	₹ 47,880.00	12.50%	₹ 5,985.00
	वित्त वर्ष 2023-24									
	अनुदान शीर्ष : 15वां वित्त आयोग (15th FC)									
9	M/S NASIB SINGH GOVT.CON.	15FC/P/09/2023-24/ 25.4.2023	52/ 17.03.2023	B/STONE	8.50	Cum	₹ 766.00	₹ 6,511.00	12.50%	₹ 813.88
10	M/S NASIB SINGH GOVT.CON.	15FC/P/14/2023-24/ 07.08.2023	59/ 20.03.2023	STONE	8.84	Cum	₹ 766.00	₹ 6,771.00	12.50%	₹ 846.38
	अनुदान शीर्ष : - विधायक क्षेत्र विकास निधि (VKVNY)									
11	RAMESH KUMAR GOVT. CONT.	VKVNY/P/5/2023-24/ 26.03.2024	284/ 02.03.2024	STONE	3.6	Cum	₹ 350.00	₹ 1,323.00	12.50%	₹ 165.38
	अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MNREGA)									
12	NASIB SINGH	Nill/ 01.03.2024	74/ 27.09.2023	पत्थर	35.6	Cum	₹ 766.00	₹ 27,269.60	12.50%	₹ 3,408.70
							कुल योग	₹ 2,72,388.42		₹ 34,048.55

Note: It is certified that above information is true and as per records available at Gram Panchayat Haar office.

ग्राम रोजगार सेवक
ग्राम पंचायत ....
विकास खण्ड नगरोटा सूरियां
जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

Tajinder Paul
Technical Assistant
Gram Panchayat Har
Dev. Bl. Nagrota Surian (Kangra) H.P.

Reena Kumari
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत Har
विकास खण्ड नगरोटा सूरियां
जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

परिशिष्ट " छ ", पैरा संख्या " 8.3 " के संदर्भ में

ग्राम पंचायत हार द्वारा अपूर्तिकर्ता से सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती न करने के कारण राशी ₹ 0.16 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान बारे

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	फर्म/व्यक्ति का नाम	क्रय सेवाओं एवं सामग्री का विवरण	वित्तीय वर्ष में कुल भुगतान की गई राशि	जी.एस.टी. टी.डी.एस. कटौती दर	जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती योग्य राशि
1	2022-23	M/S Nasib Singh Govt Contractor, V.P.O Har, Teh Jawali, KangraGST No. **02NDPPS6352Q1ZF**	Sand, Aggregate, Boulder, Cement Carriage, Display Board and Shuttering	₹ 4,94,684.81	2%	₹ 9,893.70
2	2022-23	Vijay Kumar, vill Ludhiar, PO Sidhpur Ghar, Teh Jawali,Kangra, GST No. **02KJAPK2808F1ZM**	Sand, Aggregate, Boulder, Cement Carriage, Sign Board and Shuttering	₹ 3,13,999.30	2%	₹ 6,279.99
		Total (R/Off)		**₹ 8,08,684.00**	2%	**₹ 16,174.00**

Note:- There is no bifurcation of GST in the bills of M/S Nasib Singh Govt. Cont. therefore whole bill amount is considered for calculation of GST TDS

Reena Kumari
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत ......हार......
विकास खण्ड नगरोटा सूरियां
ज़िला कांगड़ा (हि० प्र०)

ग्राम रोजगार सेवक
ग्राम पंचायत ......हार......
विकास खण्ड नगरोटा सूरियां
ज़िला कांगड़ा (हि० प्र०)

Technical Assistant
Gram Panchayat ___Har___
Dev. Bl. Nagrota Surian (Kangra) H.P.

36

परिशिष्ट " ज ", पैरा संख्या " 8.4, " के सन्दर्भ में
8.5

ग्राम पंचायत हार द्वारा सीमेंट क्रय से संबंधित मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना एवं भुगतान की गई अग्रिम राशि ₹5.85 लाख समायोजन हेतु शेष पाए जाने का विवरण

वित्त वर्ष 202-23

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/ दिनांक	प्रोफॉर्मा बिल सं०/ दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा (Bags)	भुगतान की गई राशि
	अनुदान शीर्ष : 15वां वित्त आयोग (15TH FC)						
1	हि०प्र०सिवल सप्लाई फतेहपुर	XVFC/2022-23/P/5/26.05.22	2464/ 20.05.22	सिमेन्ट	₹ 344.70	40.00	₹ 13,788.00
2	हि०प्र०सिवल सप्लाई फतेहपुर	XVFC/2022-23/P/9/23.07.22	2465/ 20.05.22	सिमेन्ट	₹ 344.70	70.00	₹ 24,129.00
3	हि०प्र०सिवल सप्लाई फतेहपुर	XVFC/2022-23/P/20/.1.11.22	2466/ 01.11.22	सिमेन्ट	₹ 401.00	70.00	₹ 28,070.00
4	हि०प्र०सिवल सप्लाई फतेहपुर	XVFC/2022-23/P/24/26.12.22	125919/ 15.12.22	सिमेन्ट	₹ 401.00	50.00	₹ 20,050.00
5	हि०प्र०सिवल सप्लाई फतेहपुर	XVFC/2022-23/P/30/22.01.23	125925/ 01.01.23	सीमेंट	₹ 401.00	80.00	₹ 32,080.00
6	हि०प्र०सिवल सप्लाई फतेहपुर	XVFC/2022-23/P/34/18.02.23	125944/ 01.02.23	सीमेंट	₹ 401.00	30.00	₹ 12,030.00
7	हि०प्र०सिवल सप्लाई फतेहपुर	XVFC/2022-23/P/35/18.02.23	125943/ 01.02.23	सीमेंट	₹ 401.00	30.00	₹ 12,030.00
8	हि०प्र०सिवल सप्लाई फतेहपुर	XVFC/2022-23/P/36/04.03.23	368405/ 25.02.23	सीमेंट	₹ 401.00	25.00	₹ 10,025.00
	अनुदान शीर्ष : विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)						
9	हि०प्र०सिवल सप्लाई फतेहपुर	VKVNY/2022-23/P/1/18.05.22	23938/ 18.05.22	सीमेंट	₹ 344.70	60	₹ 20,622.00
	अनुदान शीर्ष: मनरेगा (MNREGA)						
10	हि०प्र०सिवल सप्लाई फतेहपुर	29/ 24.08.2022	23940/ 25.04.2022	सीमेंट	₹ 344.77	180	₹ 62,058.60
11	हि०प्र०सिवल सप्लाई फतेहपुर	30/ 24.08.2022	23939/ 25.04.2022	सीमेंट	₹ 344.77	20	₹ 6,895.40
12	हि०प्र०सिवल सप्लाई फतेहपुर	53/ 15.11.2022	2467/ 04.11.2022	सीमेंट	₹ 401.00	210	₹ 84,210.00
13	हि०प्र०सिवल सप्लाई फतेहपुर	54/ 15.11.2022	2468/ 04.11.2022	सीमेंट	₹ 401.00	60	₹ 24,060.00
14	हि०प्र०सिवल सप्लाई फतेहपुर	Nill/ 25.05.2022	0101561/ 27.01.2022	सीमेंट	₹ 344.70	20	₹ 6,894.00
15	हि०प्र०सिवल सप्लाई फतेहपुर	Nill/ 25.05.2022	0101595/ 27.01.2022	सीमेंट	₹ 344.70	20	₹ 6,894.00
16	हि०प्र०सिवल सप्लाई फतेहपुर	Nill/ 25.05.2022	0101596/ 27.01.2022	सीमेंट	₹ 344.70	20	₹ 6,894.00
17	हि०प्र०सिवल सप्लाई फतेहपुर	Nill/ 25.05.2022	0101598/ 27.01.2022	सीमेंट	₹ 344.70	70	₹ 24,129.00
18	हि०प्र०सिवल सप्लाई फतेहपुर	Nill/ 25.05.2022	0101599/ 12.03.2022	सीमेंट	₹ 344.70	70	₹ 24,129.00
	वित्त वर्ष 2023-24						
	अनुदान शीर्ष : 15वां वित्त आयोग (15TH FC)						
25	हि०प्र०सिवल सप्लाई फतेहपुर	15FC/P/15/2023-24/21.02.24	369922/10.02.24	सीमेंट	₹ 406.00	30.00	₹ 12,180.00
	अनुदान शीर्ष : - विधायक क्षेत्र विकास निधि (VKVNY)						
26	हि०प्र०सिवल सप्लाई फतेहपुर	VKVNY/P/2/2023-24/06.02.24	185347/25.01.24	सीमेंट	₹ 401.00	100.00	₹ 40,100.00
	अनुदान शीर्ष: मनरेगा (MNREGA)						
27	हि०प्र०सिवल सप्लाई फतेहपुर	Nill/ 01.03.2024	185251/ 02.11.2023	सीमेंट	₹ 401.00	54	₹ 21,654.00
28	हि०प्र०सिवल सप्लाई फतेहपुर	Nill/ 07.11.2023	0101562/ 25.07.2023	सीमेंट	₹ 401.00	50	₹ 20,050.00
29	हि०प्र०सिवल सप्लाई फतेहपुर	Nill/ 07.11.2023	368499/ 25.07.2023	सीमेंट	₹ 401.00	180	₹ 72,180.00
						कुल जोड़	₹ 5,85,152.00

ग्राम रोजगार सेवक
ग्राम पंचायत ...हार...
विकास खण्ड नगरोटा सूरियां
ज़िला कांगड़ा (हि0 प्र0)

Technical Assistant
Gram Panchayat HAR
Dev. Bl. Nagrota Surian (Kangra) H.P.

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत ...हार...
विकास खण्ड नगरोटा सूरियां
ज़िला कांगड़ा (हि0 प्र0)

(परिशिष्ट " झ " पैरा संख्या "3.6 " में संदर्भ में)

ग्राम पंचायत हार द्वारा विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत स्वीकृत राशि ₹27.78 लाख के निर्माण कार्यों से संबंधित अभिलेख (माप पुस्तिका, प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, उपयोगिता प्रमाण पत्र और अनुभागी / संकर्म व सतर्कता कमेटी द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध) अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का विवरण

क्र०सं०	अनुदान शीर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत राशी	चयनित माह में भुगतान की गई राशि
1	VKVNY	निर्माण पक्का रास्ता और सुरक्षा दीवार नजदीक हंस राज, पप्रवीण कुमार, रोशन सिंह, स्वरूप सिंह बगैरह की ज़मीन के पास गाँव खब्बल	2023-24	₹ 1,50,000.00	₹ 86,267.00
2	VKVNY	निर्माण रास्ता रशपाल के घर से महाशा बस्ती लखनेर	2022-23	₹ 50,000.00	₹ 20,682.00
3	15th FC	सीलिंग, पी.बी.सी सौन्दर्यकरण ग्राम पंचायत हार	2022-23	₹ 1,00,000.00	₹ 73,021.00
4	14th FC	कंपलिशन मीटिंग हाल ग्राम पंचायत हार	2021-22	₹ 1,30,000.00	₹ 30,250.00
5	14th FC	निर्माण शमशान घाट (मोक्ष धाम) गावं – खबल	2021-22	₹ 1,00,000.00	₹ 30,811.00
6	14th FC	कंपलिशन शमशान घाट (मोक्ष धाम) हार , ग्राम पंचायत हार	2021-22	₹ 1,40,000.00	₹ 1,05,000.00
7	MNREGA	निर्माण सुरक्षा दिवार करम सिंह की जमीन गावं खब्बल	2022-23	₹ 87,902.00	₹ 9,116.00
8	MNREGA	निर्माण एम्बुलेंस रोड दिलबाग, विक्रम, ज्ञान सिंह के घर गावं खब्बल	2022-23	₹ 2,23,969.00	₹ 27,556.00
9	MNREGA	निर्माण गौशाला करनैल सिंह पुत्र श्री मुंशी राम वार्ड न 1	2023-24	₹ 35,000.00	₹ 16,272.00
10	MNREGA	निर्माण एम्बुलेंस रोड ईश्वर दास के घर से लेकर कूए तक ग्राम पंचायत हार	2022-23	₹ 2,97,955.00	₹ 99,792.60
11	MNREGA	निर्माण गौशाला राय सिंह की जमीन	2023-24	₹ 35,000.00	₹ 11,272.00
12	MNREGA	निर्माण गौशाला प्रकाश चन्द पुत्र श्री कर्म सिंह गावं हार	2023-24	₹ 35,000.00	₹ 12,712.00
13	MNREGA	निर्माण गौशाला अयुपदीन की जमीन गावं बढ़ेला	2023-24	₹ 35,000.00	₹ 7,432.00
14	MNREGA	निर्माण बकरी शेड नरेंदर सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह की जमीन गावं खब्बल	2023-24	₹ 35,000.00	₹ 13,424.00
15	MNREGA	निर्माण नाली साहिब सिंह, चंचल सिंह की जमीन	2023-24	₹ 85,460.00	₹ 21,654.00
16	MNREGA	निर्माण NRM कार्य निर्माण कच्ची नाली नसीब सिंह के घर से प्रीतम सिंह के घर तक गावं हार	2023-24	₹ 87,882.00	₹ 18,444.00
17	MNREGA	C.O. Crate work for soil errosion in the land of Bishmaber Singh (1304010464/FP/8000078968)	2020-21	₹ 2,12,109.00	₹ 39,900.00
18	MNREGA	C/O Crate Work in the Land of Gurdev Singh,Gian Singh Near Khakhor Khad (1304010464/FP/8000083649)	2021-22	₹ 2,07,292.00	₹ 56,642.50
19	MNREGA	C.O. Drain from Road to Ram Singh Land (1304010464/FP/8000096365)	2021-22	₹ 99,519.00	₹ 24,129.00
20	MNREGA	नि० गौशाला (घराल) जोगिन्दर सिंह s/o तारा सिंह (समग्र) (1304010464/IF/32155766)	2020-21	₹ 34,993.00	₹ 27,846.20
21	MNREGA	नि० गौशाला (घराल)विजय कुमार s/o प्रभात सिंह (समग्र) (1304010464/IF/32163289)	2020-21	₹ 35,000.00	₹ 33,747.60
22	MNREGA	नि० गौशाला (घराल)पियुन्गला देवी w/o रघुनन्दन राय (समग्र) (1304010464/IF/32163291)	2020-21	₹ 35,000.00	₹ 14,985.18
23	MNREGA	नि० गौशाला (घराल) सुखविंदर सिंह s/o उत्तम सिंह (समग्र) (1304010464/IF/32170246)	2020-21	₹ 35,000.00	₹ 14,830.00
24	MNREGA	नि० गौशाला (घराल) भूल्लू राम (समग्र) (1304010464/IF/32170274)	2020-21	₹ 35,000.00	₹ 34,440.00
25	MNREGA	C/O Cow Shed in the land of Sukhdev Singh S/O Balwant Singh Vill Thappal (1304010464/IF/32202602)	2021-22	₹ 49,954.00	₹ 38,461.00
26	MNREGA	C/O Cow Shed in land of Kanshi Ram S/o Harnam Singh Thappal (1304010464/IF/32203285)	2021-22	₹ 49,973.00	₹ 23,324.00
27	MNREGA	C/O Cow Shed Nirmala Devi W/O Krishna Singh Land (1304010464/IF/32220402)	2021-22	₹ 49,978.00	₹ 36,025.40
28	MNREGA	C/O Protection Wall Saina Devi W/O Paratp Singh Land Vill Badehla (1304010464/LD/8000051567)	2021-22	₹ 92,204.00	₹ 80,751.32
29	MNREGA	C/O Ambulance Road Protection Wall road to Sunil, Mamta, Sushma etc House Vill Thappal (1304010464/RC/8000126723)	2021-22	₹ 1,39,422.00	₹ 91,760.00
30	MNREGA	C/O Water tank in land of Reeta Devi W/O Rakesh Kumar Vill Thappal (1304010464/WC/8000041969)	2021-22	₹ 74,290.00	₹ 29,000.00
			कुल जोड़	**₹ 27,77,902.00**	**₹ 11,29,547.80**

Reena Kumari

ग्राम रोजगार सेवक
ग्राम पंचायत ....हार....
विकास खण्ड नगरोटा सूरियां
ज़िला कांगड़ा (हि० प्र०)

Technical Assistant
Gram Panchayat HAR
Dev. Bl. Nagrota Surian (Kangra) H.P.

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत ....हार....
विकास खण्ड नगरोटा सूरियां
ज़िला कांगड़ा (हि० प्र०)

(परिशिष्ट " अ ", पैरा संख्या " 9.1,9.2" के संदर्भ में)

मनरेगा के अंतर्गत मस्टर रोलों को जारी एवं भुगतान संबंधी प्रतिपादित नियमों की अवहेलना बारे राशि ₹1.16 लाख मस्टर रोलों का विवरण

क्र० सं०	कार्य का नाम	मस्टर रोल संख्या	वा० सं० / दिनांक	भुगतान की गई राशि
1	निर्माण सुरक्षा दिवार करम सिंह की जमीन गावं खब्बल	4288	NIL/06.03.2024	₹ 9,116.00
2	निर्माण एम्बुलेंस रोड दिलबाग, विक्रम, ज्ञान सिंह के घर गावं खब्बल	4290	NIL/06.03.2024	₹ 11,236.00
3		4382	NIL/20.03.2024	₹ 16,320.00
4	निर्माण गौशाला करनैल सिंह पुत्र श्री मुंशी राम वार्ड न 1	4286	NIL/05.03.2024	₹ 7,632.00
5		4381	NIL/20.03.2024	₹ 8,640.00
6	निर्माण गौशाला राय सिंह की जमीन	4278	NIL/05.03.2024	₹ 5,512.00
7		4377	NIL/20.03.2024	₹ 5,760.00
8	निर्माण गौशाला प्रकाश चन्द पुत्र श्री कर्म सिंह गावं हार	4280	NIL/05.03.2024	₹ 5,512.00
9		4378	NIL/20.03.2024	₹ 7,200.00
10	निर्माण गौशाला अयुपदीन की जमीन गावं बढ़ेला	4282	NIL/05.03.2024	₹ 5,512.00
11		4379	NIL/20.03.2024	₹ 1,920.00
12	निर्माण बकरी शेड नरेंदर सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह की जमीन गावं खब्बल	4284	NIL/05.03.2024	₹ 11,024.00
13		4380	NIL/20.03.2024	₹ 2,400.00
14	निर्माण NRM कार्य निर्माण कच्ची नाली नसीब सिंह के घर से प्रीतम सिंह के घर तक गावं हार	4277	NIL/05.03.2024	₹ 18,444.00
			कुल जोड़	**₹ 1,16,228.00**

ग्राम रोजगार सेवक
ग्राम पंचायत ...हार...
विकास खण्ड नगरोटा सूरियां
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

Technical Assistant
Gram Panchayat HAR
Dev. Bl. Nagrota Surian (Kangra) H.P.

Reena Kumari
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत ...हार...
विकास खण्ड नगरोटा सूरियां
ज़िला कांगड़ा (हि0 प्र0)